पुलिस सुधार - वर्तमान की आवश्यकता

"सशक्त राष्ट्र के लिए,
आमजन के विश्वास के लिए,
कानून/ विधि का पालन करवाने के लिए,
पुलिस सुधार वर्तमान की आवश्यकता है|"

इस उक्त कथन का आशय है कि किसी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में तथा आमजन की सुरक्षा और विधि का पालन करवाने के लिए पुलिस बल का गठन किया है| भारतीय पुलिस व्यवस्था का इतिहास बेहद प्राचीन है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शासन की सहूलियत के हिसाब से इसका गठन किया गया था |

21वीं सदी के भारत में हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकते; अपितु यह हास्यास्पद ही है कि भारत की पुलिस व्यवस्था के प्रावधान आज भी वही हैं जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए हैं | ब्रिटिश सरकार का पुलिस इकाई गठन करने का उद्देश्य उनके शासन के विरुद्ध कार्य करने वालों पर लाठियाँ भांजना और कानूनी तौर पर दोषी सिद्ध करना था | आज वर्तमान स्वतंत्र भारत में यह नजारा देखने को मिलता है जब कभी किसान आंदोलन या विद्यार्थियों पर ये लाठियाँ बरसती हैं अथवा एक पुलिस वाला अपनी पकड़ में किसी ठेले वाले या राहगीर के पीछे हाथ धोकर लग जाता है |

पुलिस की बर्बरता की कहानियाँ आज भी यही बताती हैं कि जब गर्म मिजाज के कांस्टेबल के हाथ में डंडा आ जाए तो वह जानवर या इंसान में फर्क नहीं करता है ऐसा लगता है कि मानो हमारी पुलिस आज अंग्रेजों की जगह सत्ता में बैठे लोगों की जी हुजूरी करने लगी है | आज संपूर्ण विश्व में (चाहे देश हो, चाहे विदेश) पुलिस सुधार की मांग उठ रही है |

वर्तमान में अश्वेत अफ्रीकी अमेरिका जॉर्ज फ़्यायड की मृत्यु के बाद पूरे अमेरिका में पुलिस सुधार की मांग की गई है | परिणाम स्वरुप 'जस्टिस इन पुलिसिंग विधेयक' का प्रस्ताव लाया गया, जिससे पुलिस सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा की गई, ताकि पुलिस के दुराचरण, अत्यधिक बल प्रयोग और नस्लवादी पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सके |

वर्तमान में भारत देश में भी कई राज्यों में पुलिस सुधार की मांग महसूस की गई है | उत्तर प्रदेश में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई | इस घटना के बाद भी पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत महसूस की गई | मई 2020 में राजस्थान के चूरू के राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई जी के दबाव सहन ने कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी | इस घटना के बाद पुलिस सुधार की माँग की गई |

भारत में पुलिस सुधार के प्रमुख मुद्दे :- भारत में पुलिस सुधार के प्रमुख मुद्दे निम्न है –

- जवाब देही और पारदर्शिता की कमी:- पुलिस की क्रूरता और कदाचार की कई घटनाएँ दर्ज नहीं की जाती हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती है, जिससे अधिकारियों में दंड से मुक्ति की भावना पैदा होती है|
- अपर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण :- पुलिस अधिकारियों के पास अक्सर अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों का अभाव होता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और पुलिस में विश्वास की कमी होती है |
- भ्रष्टाचार:- पुलिस बल में भ्रष्टाचार व्यापक है, जो जनता के विश्वास को कमजोर कर रहा है और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न कर रहा है|
- बल पर अत्यधिक निर्भरता:- भारतीय पुलिस का अपराध को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग करने का इतिहास रहा है, जिससे पुलिस की क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ होती हैं |
- पूर्वाग्रह और भेदभाव:- पुलिस बल में जाति, धर्म और लिंग जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव के उदाहरण हैं, जो पुलिस में जनता के विश्वास को और कम करते हैं |
- प्रतिनिधित्व का अभाव:- पुलिस बल अक्सर उन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है जिनकी वह सेवा करता है,जिससे पुलिस और जनता के बीच अविश्वास और सहयोग की कमी होती है |

ये सभी मुद्दे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में व्यापक पुलिस सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं कि वे सभी नागरिकों की जरूरतों को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरा करें |

पुलिस सुधार के लिए किए गए प्रयास:- भारत में, पुलिस सुधारो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई समितियाँ और आयोग स्थापित किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81), पद्मनाभैया समिति (2000), सोली सोराबाजी समिति (2000), मलिमथ समिति (2000), मुखर्जी समिति (2006) आदि समितियों और आयोगो ने पुलिस जवाबदेही, पारदर्शिता, आधुनिकीकरण और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार जैसे क्षेत्रों में कई प्रमुख सुधारो की सिफारिश की है| लेकिन अभी तक उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है |

प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के कार्य को मूलभूत कार्य और नीतिगत कार्यों के बीच विभाजित करने को कहा गया है | इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल को निर्धारित, पुलिस कल्याण ब्यूरो के गठन एवं पुलिस थानों में अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की बात कही गई| 2006 में ही मॉडल पुलिस अधिनियम बनाया गया | वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में स्मार्ट पुलिस पर बल दिया | लेकिन वर्तमान भारत को देखते हुए पुलिस सुधार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास एवं भावनात्मक जुड़ाव बना रहें |

पुलिस सुधार के क्षेत्र में चुनौतियाँ :-

भारत में राजनीतिक नेताओं के दखल के कारण पुलिस अधिकारियों को अपना काम करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस के अधिकारियों को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना पड़ता है| और ना ही ठीक प्रकार से पॉलिसीयों का निर्माण हो पाता है| भारत जैसे देश में पुलिस पर अत्यधिक मात्रा में कार्यभार होने के कारण, उनकी कार्य का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, और वेतन भी कम मात्रा मिलता है | पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात एक लाख व्यक्तियों पर 152 पुलिसकर्मी है जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित एक लाख व्यक्ति पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए| भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि तथा पुलिसकर्मियों की कमी, पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियारों की कमी तथा राज्य की तरफ से पुलिस विभाग को कम फंड प्रस्तावित करना आदि महत्वपूर्ण चुनौती है | इसके अतिरिक्त साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रशिक्षित एवं अनुभवी पुलिसकर्मियों की कमी पुलिस सुधार के क्षेत्र में एक अभी भी चुनौती बनी हुई है |

पुलिस सुधार के लिए सुझाव :- भारत में बढ़ती हुई आबादी की सुरक्षा जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए निम्न सुझाव निम्नलिखित है –

- पुलिस का कार्यभार कम किया जाए और कार्य के घंटे निश्चित किया जाए | जैसे- केरल में एक पुलिसकर्मी को 8 घंटे अनिवार्य ड्यूटी का प्रावधान किया गया है| आपातकालीन स्थिति में ही उसे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी |
- कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के कार्यों को अलग-अलग किया जाए |
- ईमानदार पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए |
- भ्रष्टाचार निवारण हेतु वेतन एवं आवासीय सुविधाएँ बढ़ाई जाए एवं भ्रष्टाचार विरोधी कानूनो का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए |
- पैदल दस्ती दल हेतु वाहनों की संख्या एवं सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएँ जाएँ |
- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रो की संख्या बढ़ाई जाए और समय-समय पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए|
- प्राथमिकी दर्ज करते समय अपराधों का विवरण बिना किसी जोड़- घटाव में लिखा जाना चाहिए, ताकि गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के अंतराल को कम किया जा सके |
- सामुदायिक पुलिसिंग पर बल दिया जाना चाहिए |

उपसंहार :- भारत में पुलिस के क्षेत्र में सुधार वर्तमान की ही नहीं अपितु आजादी के समय से ही सुधार करने की आवश्यकता थी | आज भारत में पुलिस प्रशासन अनेक गंभीर मुद्दे जैसे- भ्रष्टाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी आदि से युक्त है जो 21वीं सदी के भारत के लिए सोचने का विषय है | पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में पुलिस बलों में सुधार को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि "एक प्रगतिशील व आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस पर होना चाहिए, जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करें|"

वर्तमान भारत में सार्वजनिक सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए पुलिस बल को आधुनिक बनाने और कानून प्रवर्तन में लोगों का विकाश बहाल करने के लिए सुधार लागू किये जाएँ | जिससे आम नागरिक का पुलिस पर विश्वास कायम हो सके| तभी हम कह सकेंगे-

" दिन हो या रात, धूप हो या बरसात,
आपकी सेवा के लिए, पुलिस आपके साथ|"